भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 302
गुरूवार, 3 फरवरी, 2022/14 माघ, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

आईएटीओ से प्राप्त अभ्यावेदन

302. श्री संजय राउतः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गैर उच्च जोखिम वाले देशों के यात्रियों के लिए एक बारगी वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा सात दिनों के संगरोध में रियायत के लिए इंडियन एसोसिएशन ऑफ टुअर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि इस व्यवसाय के बंद होने तथा नौकरियों के खत्म होने को रोकने में मदद मिल सके;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर मौजूदा पर्यटन उधोग के पुनरूद्धार के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): जी हाँ, महोदय। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) से एकमुश्त वित्तीय सहायता और उन देशों जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्र नहीं हैं, से आने वाले यात्रियों के लिए सात दिन के क्वारंटाइन सम्बन्धी नियम में ढील दिए जाने के सम्बन्ध में मंत्रालय को एक अभ्यावेदन मिला है और इसे विचारार्थ तथा समुचित कार्रवाई हेतु वित्त मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) जैसे सम्बन्धित मंत्रालयों को भेज दिया गया है।

(ग): देश में अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके मौजूदा पर्यटन उद्योग की बहाली के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है:-

i. सरकार ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 से ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा पर चार्टर्ड उड़ानों से (केवल सामूहिक पर्यटन के लिए) आने वाले विदेशी नागरिकों को पर्यटन हेतु भारत में प्रवेश की अनुमति दी और 15 नवम्बर, 2021 से व्यक्तिगत रूप से आने वाले विदेशी नागरिकों को अनुमति दी गई।

ii. पाँच लाख पर्यटकों को नि:शुल्क पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार वीजा जारी किया जाना बहाल होने पर पहले पाँच लाख पर्यटक वीजा नि:शुल्क जारी किए जाएंगे। पहले पाँच लाख पर्यटक वीजा जारी किए जाने (नि:शुल्क वीज़ा) के दौरान किसी एक पर्यटक को नि:शुल्क वीजा का लाभ केवल एक बार मिलेगा। यह योजना दिनांक 31 मार्च, 2022 तक अथवा 5,00,000 वीजा जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी।

iii. पर्यटन मंत्रालय विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार नामक अपनी योजना के तहत विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत के हिस्से को बढ़ाने के मद्देनज़र पर्यटन सृजनकारी बाजारों में एक सम्पूर्ण गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है। एकीकृत मार्किटिंग एवं संवर्धनात्मक कार्यनीति और यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों तथा भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान के माध्यम से उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।

iv. विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार योजना के बाजार विकास सहायता (एमडीए) कार्यक्रम में विदेशी बाजारों में भारत में पर्यटन के संवर्धन हेतु अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

****